



# धनतेरस एवं दीपावली

के शुभ अवसर पर

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

द्वारा

लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा जोन की  
विभिन्न आवासीय/अनावासीय एवं शैक्षणिक सम्पत्तियों  
को ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का

## सुनहरा अवसर

### आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों की ई-नीलामी

आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों की ई-नीलामी तिथि : 21.10.2022

पंजीकरण एवं टोकन धनराशि जमा करने की अवधि : 10.10.2022 से 20.10.2022

### शैक्षणिक सम्पत्तियों की ई-नीलामी

पंजीकरण अवधि : 10.10.2022 से 29.10.2022

स्थानीय आवंटन समिति द्वारा प्रपत्रों की जाँच अवधि : 30.10.2022 से 11.11.2022

वैध आवेदकों द्वारा टोकन धनराशि जमा करने की अवधि : 14.11.2022 से 29.11.2022

ई-नीलामी की तिथि : 30.11.2022

स्थानीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय से आवेदकों को ई-मेल अथवा फोन के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।

**नोट :** • प्रस्तावित ई-नीलामी तिथि से पूर्व दिवस तक जिन आवेदकों/बोलीदाताओं का ई-नीलामी के पोर्टल पर पंजीकरण तथा निर्धारित पंजीकरण/टोकन धनराशि परिषद के ई-नीलामी हेतु निर्धारित खाते में (ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से) जमा रहेगी, उनके द्वारा ही ई-नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकेगा।  
• आवासीय सम्पत्तियों के विरुद्ध फर्म/संस्था/कम्पनी द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जा सकेगा।  
• ई-नीलामी हेतु ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।  
• किसी भी नियम/विनियम, नियम व शर्तों, सम्पत्ति का विवरण यथा जोन, योजना, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, टोकन मनी, अर्हता, भुगतान आदि के सम्बन्ध में जानकारी परिषद की वेबसाइट [www.upavp.in/online services](http://www.upavp.in/online services) अथवा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।  
• निर्माण संबंधी नियम उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उ.प्र. एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुरूप होंगे।  
• स्थानीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय से आवेदकों को ई-मेल अथवा फोन के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।  
• आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों को आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "**Other Document**" में अपलोड किया जाना होगा।  
• यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बंधित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।  
• किसी भी ई-नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा नीलामी की नियम व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार आवास आयुक्त में निहित है।

उपरोक्त से सम्बन्धित विस्तृत विवरण यथा-शहर एवं योजना का नाम,  
सम्पत्ति का प्रकार, क्षेत्रफल, आरक्षित दर एवं नियम व शर्तें इत्यादि परिषद की  
वेबसाइट [www.upavp.in/online services](http://www.upavp.in/online services) तथा

ई-पोर्टल <https://upavpauction.procure247.com/> पर उपलब्ध है।

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें : 8866287104, 9574524058 (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से सायं 5.30 बजे)

टोल फ्री : 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 10.00 से सायं 6.00,

ई-मेल : [tapan@tender247.com](mailto:tapan@tender247.com); [mahesh.baku@procure247.com](mailto:mahesh.baku@procure247.com); [helpdesk@procure247.com](mailto:helpdesk@procure247.com)